रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2019/माघ 17, 1940
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019/MAGHA 17, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

नोडल एजेंसी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा और एक समूहक के जरिए 3 वर्षों (मध्यावधि के अंतर्गत शामिल) के लिए प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत 2500 मेगावाट की समेकित विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश ।

सं. 23/78/2017-आरएंडआर.—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 ("**अधिनियम**") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत के उत्पादन की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण सृजित करने में लगी हुई है।

जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसियों के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की खरीद में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना अनिवार्य होता है।

जबकि केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक 10 अप्रैल, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मध्यावधि अवधि (3 वर्ष) के लिए प्रायोगिक स्कीम के अंतर्गत 2,500 मेगावाट विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रायोगिक स्कीम, जिसमें 1900 मेगावाट विद्युत जोड़ी गई है, के अनुभवों के आधार पर, केंद्र सरकार ने अब ऐसी उत्पादन कंपनियों, जिनके पास कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है जो पहले से ही चालू हैं तथा जिन्होंने विद्युत क्रय करार नहीं किया है, से 3 (तीन) वर्षों (मध्यावधि के अंतर्गत शामिल) के लिए 2,500 मेगावाट समेकित विद्युत की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रायोगिक स्कीम–II के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्तावित स्कीम में नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत की खरीद की परिकल्पना भी की गई है। इसके अतिरिक्त, इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) और वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के बीच विद्युत की खरीद और आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल एजेंसी द्वारा एक समूहक नियुक्त किया जाएगा। यह समूहक सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के साथ विद्युत की खरीद के लिए करार एवं साथ ही वितरण लाइसेंसी (लाइसेंसियों) के साथ बैक-टू-बैक विद्युत आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करेगा। यह स्कीम इसके बाद **"प्रायोगिक स्कीम– II"** के रूप में संदर्भित की जाएगी।

जबकि, केंद्र सरकार ने न्यूनतम टैरिफ के प्रस्ताव के आधार पर इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म (दीप ई-बिडिंग पोर्टल) के माध्यम से खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादकों से विद्युत की खरीद के लिए नोडल एजेंसी द्वारा अपनाए जाने के लिए बोली दस्तावेज जिनमें (I) प्रायोगिक स्कीम–II हेतु बोली दस्तावेज; (ii) प्रायोगिक स्कीम–II (एपीपीपी–II) के अंतर्गत विद्युत की खरीद हेतु प्रारूप करार; और (iii) प्रायोगिक स्कीम–II (पीएसएपी–II) के अंतर्गत प्रारूप विद्युत आपूर्ति करार, (संयुक्त रूप से 'बोली दस्तावेज़') शामिल हैं, दिनांक 30 जनवरी, 2019 के अपने पत्र सं. 23/78/2017-आरएंडआर के माध्यम से जारी किए हैं। ई-बिल्डिंग पोर्टल के लिए लिंक पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की वेबसाइट (**www.pfcclindia.com**) पर उपलब्ध कराया जाएगा और विद्युत मंत्रालय की बेवसाइट (**www.powermin.nic.in**) पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अब, इसलिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा **नोडल एजेंसी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा और एक समूहक के जरिए 3 वर्षों (मध्यावधि के अंतर्गत शामिल) के लिए प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत 2500 मेगावाट की समेकित विद्युत की खरीद के लिए दिशा-निर्देश ("दिशा-निर्देश")'** अधिसूचित करती है।

ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे-

1. यहां ऊपर संदर्भित प्रायोगिक स्कीम–II के बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट निबंधन और शर्तें संदर्भत: इन दिशा-निर्देशों का भाग होंगी और उन्हें उसी रूप में माना जाएगा।

2. इन दिशा-निर्देशों का उपयोग केवल उन परियोजनाओं तक सीमित होगा जिनसे मध्यावधि के आधार पर तीन वर्षों के लिए प्रायोगिक स्कीम-II के तहत विद्युत की खरीद के लिए करार प्रारूप (एपीपीपी-II) के अनुसार विद्युत की खरीद की जाएगी।

3. प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत विद्युत खरीद करार के प्रयोजन हेतु, टैरिफ में शामिल होगा: (i) परिवर्ती प्रभार (ii) बोली दस्तावेज के अनुसरण में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत किए जाने वाली विद्युत की उत्पादन लागत, जो परिवर्ती प्रभार में शामिल है, के बराबर होगी।

4. प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत, विद्युत आपूर्ति करार के अंतर्गत भुगतान के प्रयाजनार्थ, भुगतान में शामिल होगा: (i) प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत विद्युत खरीद करार के अंतर्गत टैरिफ भुगतान और (ii) ट्रेडिंग मार्जिन। ट्रेडिंग मार्जिन को इस स्कीम के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5. टैरिफ का निर्धारण प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए करार और प्रायोगिक स्कीम–II के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति करार के प्रयोजन हेतु इन दिशा-निर्देशों के आधार पर दीप ई-बोली पोर्टल पर रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा और इस अधिनियम की धारा 63 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाएं जाएंगे।

6. सभी भावी बोलीदाता पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) के बोली दस्तावेजों के अनुसार, 8000/- रुपये (आठ हजार रुपये) प्रति मेगावाट + प्रयोज्य कर के अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने से ई-बिडिंग प्रक्रिया में सहभागिता करने में सक्षम हो जाएंगे। बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, केवल सफल बोलीदाताओं को प्रत्येक बोलीदाता की आवंटित मात्रा के लिए समतुल्य प्रभारों का भुगतान करना होगा। शेष राशि बोली प्रक्रिया के पूरा होने के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर बिना ब्याज के पीएफसीसीएल द्वारा लौटा दी जाएगी। गैर-चयनित बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा जमा किया गया शुल्क भी बिना किसी ब्याज के बोली प्रक्रिया के पूरा होने के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर पीएफसीसीएल द्वारा वापिस किया जाएगा।

7. बोली प्रक्रिया के दौरान प्रायोगिक स्कीम–II के बोली दस्तावेजों से कोई भी विचलन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। बोली प्रक्रिया के बाद प्रायोगिक स्कीम-II के बोली दस्तावेजों से कोई भी विचलन उपयुक्त आयोग के पूर्व अनुमोदन से नोडल एजेंसी, समूहक अथवा वितरण लाइसेंसियों द्वारा किया जाएगा।

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 1st February, 2019

Guidelines for Procurement of aggregated Power of 2500 MW under Pilot Scheme-II for three years (covered under Medium Term) facilitated by PFC Consulting Limited as Nodal Agency and through an Aggregator

No. 23/78/2017-R&R.—Whereas, the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the "**Act**");

Whereas, it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the Distribution Licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes.

Whereas, the Central Government vide its Gazette notification dated 10th April, 2018 has issued Guidelines for Procurement of Power of 2500 MW under the Pilot Scheme for Medium Term (3 years). Based on the experience gained from the Pilot Scheme wherein 1900 MW power has been tied up, the Central Government has now decided to issue the Guidelines for Pilot Scheme-II to facilitate procurement of aggregated Power of 2500 MW for the period of 3 (three) years (covered under Medium Term) from the generating companies having coal based Power Plants which are already commissioned and without having a Power Purchase Agreement. The proposed Scheme also envisages procurement of power through competitive bidding process to be conducted by the PFC Consulting Limited (PFCCL) as the Nodal Agency. Further, in order to facilitate the procurement and supply of power between the Successful Bidder(s) and Distribution Licensees, an Aggregator for the purpose of these Guidelines may be appointed by the Nodal Agency. The Aggregator will sign an Agreement for Procurement of Power with the Successful Bidder(s) and back to back Power Supply Agreement with the Distribution Licensee(s). The Scheme is hereinafter referred to as the "**Pilot Scheme -II**".

Whereas, the Central Government has, therefore vide its letter No No. 23/78/2017-R&R Dated 30th January, 2019 issued Bidding Documents comprising of (i) Bidding Document for Pilot Scheme- II; (ii) Draft Agreement for Procurement of Power under Pilot Scheme-II(APPP-II); and (iii) Draft Power Supply Agreement under Pilot Scheme-II (PSAP-II) (collectively, the "Bidding Documents") to be adopted by the Nodal Agency for Procurement of power from the power producers through a process of open and transparent competitive bidding through an electronic platform (DEEP e-Bidding Portal) based on offer of the lowest tariff. The link for the e-Bidding Portal shall be made available at the website of PFC Consulting Limited (www.pfcclindia.com), and shall also be available on the website of Ministry of Power (www.powermin.nic.in).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby notifies the "**Guidelines for Procurement of aggregated Power of 2500 MW under Pilot Scheme-II for three years (covered under Medium Term) facilitated by PFC Consulting Limited as Nodal Agency and through an Aggregator (the "Guidelines").**

These Guidelines shall come in to effect from the date of its publication in the official gazette subject to the following terms and conditions:

1. The terms and conditions specified in the Bidding Documents for Pilot Scheme-II referred to hereinabove shall, by reference forms part of these Guidelines and shall be treated as such.

2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects from which power is procured in accordance with the Draft Agreement for Procurement of Power under Pilot Scheme-II (APPP-II) for three years on Medium Term basis.

3. For the purpose of the Agreement for Procurement of Power under Pilot Scheme-II, the tariff shall comprise of (i) Variable Charge (ii) Fixed Charge which shall be equal to generating cost of electricity which is included in Variable Charge, to be quoted by the bidders in accordance with the Bidding Documents.

4. For the purpose of the payment under Power Supply Agreement under Pilot Scheme- II, the payment shall comprise of (i) Tariff payments under the Agreement for Procurement of Power under Pilot Scheme-II; and (ii) a Trading Margin. The Trading Margin shall be as approved by the Appropriate Commission for this Scheme.

5. The Tariff shall be determined through Reverse Auction on DEEP e-Bidding portal based on these Guidelines for the purpose of Agreement for Procurement of Power under Pilot Scheme-II and Power Supply Agreement under Pilot Scheme-II and shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of the Section-63 of the Act.

6. All the prospective Bidders would be able to participate in the e-Bidding process on making payment of the requisite fees of Rs. 8000 (Rupees Eight Thousand) per MW plus applicable taxes as per the Bidding Documents to PFC Consulting Limited (PFCCL). After completion of the bidding process, only Successful Bidder(s) will have to pay the equivalent charges for the quantum allocated to each Successful Bidder. The balance amount will be refunded by PFCCL within seven (7) working days of completion of the bidding process without any interest. The fees deposited by non-Selected Bidders(s) will also be refunded by PFCCL within seven (7) working days of completion of the bidding process without any interest.

7. Any deviation from the Bidding Documents of Pilot Scheme –II during bidding process shall be made by the Nodal Agency with the prior approval of the Central Government. Any deviation from the Bidding Documents of Pilot Scheme–II after bidding process shall be made by the Nodal Agency, Aggregator or Distribution Licensees with the prior approval of the Appropriate Commission.

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.02.08 22:24:04 +05'30'